


विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष हैं। इसमें सात अध्याय हैं। **अध्याय I** संचार मंत्रालय (एम ओ सी), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई), वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) के व्यय विभाग (डी ओ ई) और आर्थिक मामलों के विभाग (डी ई ए) और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई) और उनके तहत स्वायत्त निकायों (ए बी) / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) की गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय देता है। **अध्याय II** से **VII** दो खंडों में विभाजित हैं। खंड क में **अध्याय II** से **IV** हैं, जोकि क्रमशः संचार मंत्रालय के अन्तर्गत दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) व डाक विभाग (डी ओ पी) व इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत वर्तमान निष्कर्षों/ टिप्पणियों के संबंध में हैं। खंड ख में **अध्याय V** से **VII** हैं, जोकि क्रमशः संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) की लेखापरीक्षा निष्कर्षों के सम्बंध में हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षित संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान मंत्रालयों/ विभागों का अनुदान और व्यय, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पांच नागरिक अनुदान और एक गैर-नागरिक अनुदान (डी ओ पी) शामिल हैं, नीचे दिए गए हैं।




(स्रोत: वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए विभागों के विनियोग लेखे)

दूरसंचार विभाग (डी ओ टी)

दूरसंचार विभाग नीति निर्माण, निष्पादन समीक्षा, अनुश्रवण, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए जिम्मेदार है। विभाग आवृत्ति आवंटन, अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ निकट समन्वय में रेडियो संचार, बेतार नियामक उपायों को लागू करने और बेतार संचरण का अनुश्रवण और सरकार की अनुमोदित नीति के अनुसार विभिन्न दूरसंचार परिमंडलों में आधारभूत और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेटरों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है।

विभाग के राजस्व के प्रमुख स्रोत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी एस पी) से प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम राजस्व हैं। इन्हें लेखों में "गैर-कर राजस्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।



(स्रोत: वर्ष 2016-21 के लिए दूरसंचार विभाग के विनियोग लेख)

2019-20 और 2020-21 में, लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम राजस्व के माध्यम से गैर-कर राजस्व क्रमशः ₹69,365.77 करोड़ और ₹45,214.97 करोड़ था।

डी ओ टी ने मुकदमेबाजी के तहत बताए गए इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई एस पी) लाइसेंसों को छोड़कर वर्ष 2017-18 तक सभी प्रमुख टी एस पी के लिए लाइसेंस शुल्क का आकलन सामान्य तौर पर पूरा कर लिया है। संचार लेखा नियंत्रकों (सी सी ए) से विस्तृत सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में निर्धारण वर्ष 2018-19 से आगे के लिए प्रगति पर बताया गया था।

डी ओ टी में महत्वपूर्ण इकाइयाँ जैसे दूरसंचार प्रवर्तन और संसाधन निगरानी (टी ई आर एम) प्रकोष्ठ, संचार लेखा नियंत्रक (सी सी ए), वायरलेस योजना और समन्वय विंग (डब्ल्यू पी सी), दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टी ई सी), बेतार अनुश्रवण संगठन (डब्ल्यू एम ओ), नीति अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान, (एन टी आई पी आर आई टी), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस (एन आई सी एफ) और टेलीमैटिक्स के विकास के लिए केंद्र (सी- डी ओ टी), जो एक अनुसंधान और विकास इकाई है, शामिल हैं।

डी ओ टी के प्रशासनिक नियंत्रण में 11 (ग्यारह) पी एस यू थे, जिनमें से महत्वपूर्ण पी एस यू भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल), मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम टी एल), इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आई टी आई) दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल) और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल) हैं।


दूरसंचार क्षेत्र के नियामक ढांचे के लिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना 20 फरवरी 1997 को संसद के एक अधिनियम द्वारा दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण/ संशोधन शामिल था जो पहले केंद्र सरकार में निहित था। इसके अलावा, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टी डी सैट) की स्थापना (जनवरी 2000) ट्राई अधिनियम में संशोधन के माध्यम से एक लाइसेंसकर्ता और एक लाइसेंसधारी, सेवा प्रदाताओं, सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के एक समूह के बीच किसी भी विवाद का न्याय करने और ट्राई के किसी भी निर्देश, निर्णय या आदेश के खिलाफ अपीलों को सुनना और उनका निपटान करने के लिए की गई थी।

डाक विभाग (डी ओ पी)

भारत का डाक नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है जिसमें 1.55 लाख से अधिक डाकघर हैं और यह देश के सबसे दूर के कोने तक फैला हुआ है। जबकि विभाग की मुख्य गतिविधि मेल का प्रसंस्करण, संचरण और वितरण है, यह धन प्रेषण, बैंकिंग के साथ-साथ बीमा सहित विविध प्रकार की खुदरा सेवाएं भी प्रदान करता है। यह सैन्य और रेलवे पेंशनभोगियों को पेंशन और परिवारिक पेंशन, कोयला खदान कर्मचारियों और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आने वाले उद्योगों के परिवारों को परिवारिक पेंशन के वितरण में भी लगा हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम जी एन आर ई जी एस) और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं जैसे केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के तहत सामाजिक लाभ भुगतान के वितरण की जिम्मेदारी भी डाक विभाग को दी गई है।

विभाग ने उन्नत प्रौद्योगिकी और अनुयोजकता के माध्यम से सभी डाक इकाइयों की परिचालन दक्षता को बढ़ाने और वितरण सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को लागू किया है।

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए डाक विभाग की राजस्व प्राप्तियां, वसूली और राजस्व व्यय नीचे दिखाया गया है।



(स्रोत: वर्ष 2016-21 के लिए डाक विभाग के वित्त और विनियोग लेखे)

2019-20 और 2020-21 में, जबकि विभाग का राजस्व व्यय क्रमशः ₹29,139.74 करोड़ और ₹29,261.20 करोड़ था, राजस्व प्राप्तियाँ क्रमशः ₹13,558.20 करोड़ और ₹10,362.31 करोड़ थी।


डाक विभाग के पास अगस्त 2016 में निर्गमित, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (आई पी पी बी) नामक केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम था।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई)

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और इंटरनेट के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए जिम्मेदार है। एम ई आई टी वाई का उद्देश्य एक विकसित राष्ट्र और एक सशक्त समाज में परिवर्तन के इंजन के रूप में भारत का ई-विकास है।

एम ई आई टी वाई भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को डिजिटल सेवाओं, डिजिटल पहुंच, डिजिटल विभाजन को पाठने, डिजिटल समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करके भारत को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, एम ई आई टी वाई को भारत सरकार से अनुदान के रूप में बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान एम ई आई टी वाई द्वारा किए गए व्यय की तुलना में प्राप्त अनुदान नीचे दिया गया है।



(स्रोत: वर्ष 2016-21 के लिए एम ई आई टी वार्ड के वित्त और विनियोग लेखे)


एम ई आई टी वार्ड के दो संलग्न कार्यालय (नामतः, एन आई सी, एस टी क्यू सी), छह स्वायत्त समितियाँ (नामतः, सी -डी ए सी, सी एम ई टी, एन आई ई एल आई टी, एस ए एम ई ई आर, एस टी पी आई और ई आर एन ई टी इंडिया), तीन खंड 8 कंपनियाँ [नामतः, एन आई सी एस आई, एन आई एक्स आई और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डी आई सी)], तीन सांविधिक संगठन (नामतः, सी सी ए, आई सी ई आर टी और यू आई डी ए आई) और कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी (नामतः, सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड) मंत्रालय को आवंटित व्यवसाय को चलाने के लिए अपने प्रभार के तहत थीं।

उपरोक्त में से, महत्वपूर्ण कार्यालय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई) जो भारत के सभी निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (यू आई डी), "आधार" नामक एक विशिष्ट पहचान जारी करने के उद्देश्य से बनाया गया था और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी), जो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, जिलों और अन्य सरकारी निकायों को नेटवर्क बैकबोन और ई-गवर्नेंस सहायता प्रदान करता है, हैं।

आर्थिक मामलों का विभाग (डी ई ए)

डी ई ए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत मुद्रास्फीति, मूल्य नियंत्रण, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, आधिकारिक विकास सहायता, घरेलू वित्त और केंद्रीय बजट की तैयारी, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जुड़ाव सहित, भारतीय अर्थव्यवस्था के आंतरिक और बाहरी पहलुओं पर असर डालने वाले आर्थिक मुद्दों पर सलाह के लिए जिम्मेदार है।

वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान डी ई ए के अनुदान और व्यय की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है।



(स्रोत: वर्ष 2018-21 के लिए डी ई ए के विनियोग लेख)

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (एस.ई.बी.आई) एम ओ एफ के डी ई ए के अंतर्गत स्थापित (अप्रैल, 1992) एक वैधानिक नियामक निकाय है, जिसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करते हुए, नियम और दिशानिर्देश तैयार करते हुए भारतीय पूँजी और प्रतिभूति बाजार की निगरानी और विनियमन करना है।

डी ई ए के तहत चार पी एस यू जेसे सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस पी एम सी आई एल), भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी आर बी एन एम पी एल), बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बी एन पी एम आई एल) और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड (एन आई आई एफ टी एल) हैं।

मंत्रालय/ विभाग-वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष संक्षेप में नीचे वर्णित हैं:

खंड क

मंत्रालय/ विभाग

अध्याय II: दूरसंचार विभाग (डी ओ टी)

टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (टी सी एल) से लाइसेंस प्रभार की कम उगाही

2006-07 से 2017-18 की अवधि के लिए टी सी एल के एन एल डी, आई एल डी और आई एस पी- आई टी सी एल सेवाओं के संबंध में लाभ और हानि विवरण और बैलेंस शीट के संदर्भ में लेखा परीक्षित ए जी आर विवरणों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सकल राजस्व (जी आर) की ₹13,252.81 करोड़ की कम रिपोर्टिंग थी और परिणामस्वरूप लाइसेंस शुल्क ₹950.25 करोड़ का कम आरोपण था। डी ओ टी के एलएफ के ₹305.25 करोड़ के आकलन में कटौती के बाद, डी ओ टी द्वारा टी सी एल से मांगा गया लाइसेंस शुल्क उक्त अवधि के लिए ₹645 करोड़ कम था, जिसकी मांग और वसूली आवश्यक है।

डी ओ टी को 2006-18 की अवधि के लिए आकलन पूरा करने और लाइसेंस शुल्क बकाया वसूलने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि टी सी एल के एन एल डी,

आई एल डी और आई एस पी-आई टी लाइसेंसों के संबंध में लाइसेंस शुल्क के निर्धारण को अंतिम रूप देने में पहले ही काफी देरी हो चुकी थी।

(पैराग्राफ 2.1)

माइक्रोवेव एक्सेस नेटवर्क और बैकहॉल नेटवर्क के लिए ई-बैंड और वी-बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन/ सुपुर्दगी के संबंध में निर्णय लेने में अनुचित देरी

दूरसंचार विभाग ने टी.आर.ए.आई की सिफारिशों के बावजूद और मोबाइल संचार के बढ़ते घनत्व के कारण स्पेक्ट्रम की पर्याप्त मांग होने के बावजूद, इसके साथ उपलब्ध ई और वी-बैंड में माइक्रोवेव बैकहॉल नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन/ असाइनमेंट के लिए दिसंबर 2015 से कोई निर्णय नहीं लिया है। माइक्रोवेव एक्सेस कैरियर्स के असाइनमेंट के लिए दिसंबर 2021 तक 23 (तेईस) आवेदन डी ओ टी के पास लंबित थे। नतीजतन, ई और वी-बैंड में स्पेक्ट्रम का इष्टतम उपयोग नहीं किया गया है और इसलिए सरकार ने बिना बिके स्पेक्ट्रम और उपयोग शुल्क के मुद्रीकरण लाभों को छोड़ दिया है और ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता और उच्च अंत सेवाओं के लाभों से भी वंचित किया है।

स्पेक्ट्रम प्रभारों के लिए ए जी आर के 0.15 प्रतिशत की न्यूनतम दर को ध्यान में रखते हुए, बहुत ही रुद्धिवादी आधार पर परित्यक्त अनुमानित राजस्व ई एंड वी बैंड के एक वाहक के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क के लिए ₹67.53 करोड़ था और वर्ष 2020-21 के लिए टी एस पी द्वारा रिपोर्ट किए गए औसत ए जी आर के आधार पर एक अकेले परिमंडल के लिए परित्यक्त वार्षिक अपेक्षित राजस्व ₹3.30 करोड़ था। यह केवल एक सांकेतिक आंकड़ा है और उपयोगकर्ताओं को आवंटित वाहकों की संख्या और बैंडविड्थ के आधार पर अपेक्षित वास्तविक राजस्व अधिक हो सकता है।

दूरसंचार विभाग मोबाइल संचार, आई एस पी सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करने और 5जी सेवाओं के प्रभावी रोल आउट के लिए ई-बैंड और वी-बैंड में माइक्रोवेव एक्सेस और बैकहॉल नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन/ असाइनमेंट पर टी.आर.ए.आई के परामर्श से शीघ्र निर्णय ले सकता है। यह न केवल अनावंटित ई और वी बैंड में स्पेक्ट्रम का मुद्रीकरण करेगा बल्कि सरकार को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क भी प्रदान करेगा जिसके परिणामस्वरूप इन स्पेक्ट्रम बैंडों का प्रभावी उपयोग होगा, जिससे ग्राहकों को सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

(पैराग्राफ 2.2)

अध्याय-III: डाक विभाग (डी ओ पी)

डाक विभाग में आईटी आधुनिकीकरण परियोजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा

डी ओ पी में आई.टी आधुनिकीकरण परियोजना को 2012 में ₹4,909 करोड़ के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य डी ओ पी के 1.55 लाख से अधिक क्षेत्र संरचनाओं में परिचालन और सेवा वितरण दक्षता में सुधार करना है। हालांकि परियोजना

₹3,447.98 करोड़ (सितंबर 2021) के व्यय के साथ, विक्रेताओं को ₹1,376.83 करोड़ की शेष देनदारियों सहित, पूरी हो गई थी, परियोजना के महत्वपूर्ण खंडों जैसे फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर (एफ एस आई), कोर सिस्टम इंटीग्रेटर (सी एस आई), नेटवर्क इंटीग्रेटर (एन आई) और रुरल सिस्टम इंटीग्रेटर (आर एस आई), को पूरा करने में एक से चार साल तक महत्वपूर्ण देरी हुई थी। कुछ क्षेत्रों में प्री-रोलआउट प्रारंभिक गतिविधियों, डेटा के स्थानांतरण और किसी भी नेटवर्क की अनुपलब्धता में प्रारंभिक समस्याएं थीं, जिससे परियोजना गतिविधियों में देरी हुई। जनवरी 2022 तक बजट, एसेट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग मॉड्यूल को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था।

हालांकि आधुनिकीकरण परियोजना ने कहीं भी, कभी भी बैंकिंग, ए.टी.एम जैसी सुविधाओं तक पहुंच, त्वरित धन हस्तांतरण और नेट बैंकिंग, ग्रामीण आबादी के लिए बीमा सुविधाओं में वृद्धि, एंड-टू-एंड लेख दृश्यता और वास्तविक समय के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सूचना के प्रावधान के माध्यम से बेहतर ग्राहक अनुभव प्राप्त किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि कोर बैंकिंग समाधान, एकीकरण और नेटवर्किंग मुद्दों के लिए विरासत डेटा का अनुचित सत्यापन और स्थानांतरण जैसे प्रमुख विचलन थे। जब तक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, इन कमियों के कारण दुर्विनियोजन के मामले सामने आते हैं और भविष्य में भी अनियमितताओं की संभावना बनी रहती है।

डाकघरों में निर्धारित मानदंडों, व्यावसायिक नियमों, खराब नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी मुद्दों की निगरानी में अपर्याप्त प्रणाली नियंत्रण के कारण मैग्नेटिक स्ट्राइप एटीएम कार्डों की बेकार खरीद हुई, खराब नेटवर्क के कारण आर आई सी टी उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे थे, वैकल्पिक वितरण चैनलों यानी, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एस एस ट्रैकिंग और ग्राहकों को अलर्ट आदि के प्रावधान में असामान्य देरी हुई थी। परियोजना कार्यान्वयन समितियों और इसकी संबंधित मुख्य उप-समितियों ने उचित अनुकूलन/ कार्यान्वयन और परियोजना को पूरा करने के लिए समय-सीमा का पालन करने के लिए विक्रेताओं के साथ ठीक से प्रयास नहीं किया।

- ❖ लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि डाक विभाग बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए निर्बाध नेटवर्क कनेक्टिविटी, अन्य प्रणालियों के साथ कोर सिस्टम का एकीकरण सुनिश्चित करे। इसके अलावा, डाकघर के नियमों और विनियमों के संदर्भ में कोर बैंकिंग समाधान का अनुकूलन और के वाई सी मानदंडों का सख्त कार्यान्वयन, पी ओ एस बी नियमों के उचित आवेदन को सुनिश्चित करने, अनियमित खाता शेष की सफाई, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की संभावना को कम करने के लिए किया जाना चाहिए।
- ❖ डाक विभाग अपने ग्राहकों के लिए प्रभावी और गुणात्मक सेवाओं के लिए सभी मॉड्यूलों के कार्यान्वयन, सभी डाकघरों में दो नेटवर्क सेवाओं से कोर सिस्टम और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ सभी सॉफ्टवेयर के एकीकरण को सुनिश्चित कर सकता है।

(पैराग्राफ 3.1)

डाक विभाग में रेलवे डाक सेवा एवं सड़क परिवहन नेटवर्क की कार्यप्रणाली

रेलवे मेल सेवा (आर एम एस) डाक सामग्रियों को देश के सभी भागों में ले जाने और प्रेषित करने के लिए डी ओ पी द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण चैनल है। आर एम एस के अलावा, डाक विभाग ने ई-कॉर्मर्स को भी प्रोत्साहित करने के लिए चयनित मार्गों पर पार्सल और प्रीमियम मेल की ढुलाई के लिए "सड़क परिवहन नेटवर्क के विकास" के लिए एक योजना पद्धति तैयार की।

रेलवे मेल सेवाओं के कामकाज की लेखापरीक्षा संवीक्षा में रेलवे द्वारा आर एम एस को आवंटित बर्थों के प्रबंधन में कमियों का पता चला, आर एम एस सेवाओं के लिए आवंटित/ उपयोग किए जा रहे स्थान का उप इष्टतम उपयोग और रेलवे को गलत/ अधिक भुगतान किया जा रहा था जो सहमति शर्तों आदि के अनुरूप नहीं थे और रेलवे द्वारा किए गए दावों के गैर/ अनुचित सत्यापन के कारण समय पर पता नहीं लगाया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच पर देखे गए अधिक/ गलत बिलिंग/ भुगतान के उदाहरण ₹133.72 करोड़ के थे, जो आंतरिक नियंत्रणों की कमी को दर्शाते हैं जिसके कारण ढुलाई प्रभार, रेलवे से किराए पर लिए गए भवनों पर किराए आदि के लिए अधिक/ परिहार्य भुगतान हुआ।

इसके अलावा डी ओ पी के खाते को डेबिट करने से पहले रेलवे द्वारा किए गए दावों के पूर्व-सत्यापन के संबंध में आर बी आई को जारी किए गए डी ओ पी निर्देशों (सितंबर 2017) का उचित रूप से पालन नहीं किया गया था, जिसके कारण आर बी आई द्वारा निरंतर अधिक प्रत्यक्ष डेबिट किया गया था जो लंबी अवधि के लिए अनुचित तरीके से पड़ा हुआ था।

डाक विभाग द्वारा प्राप्त आयामी वजन प्रणाली (डी डब्ल्यू एस) प्रणाली को सी एस आई सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत नहीं पाया गया था और इसलिए इसे पांच परिमंडलों में उपयोग नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप ₹4.44 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसी प्रकार, आवश्यक विनिर्देशों का आकलन किए बिना मेल हार्डवेयर की खरीद के परिणामस्वरूप ₹76.39 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ।

आर टी एन सेवाओं को भी ग्राहकों को समय पर निश्चित सेवा प्रदान करके भारत में ई-कॉर्मर्स के विकास द्वारा पेश किए गए अवसरों पर कब्जा करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जाना नहीं पाया गया था, निगरानी दोषपूर्ण थी, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 20 के अंत तक किए गए ₹57.72 करोड़ के खर्च के बावजूद पार्सल यातायात में 25 प्रतिशत की वृद्धि का योजना लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हुई थी।

❖ **लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि डाक विभाग को रेलवे द्वारा किए गए दावों के सत्यापन के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि ढुलाई शुल्क, किराए आदि के अधिक भुगतान से बचा जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से डी ओ पी रेलवे द्वारा उठाए गए दावों का पूर्व-सत्यापन शुरू करके भुगतान प्रणाली में उनका खाता डेबिट होने से पहले परिवर्तन कर सकता है।**

- ❖ डाक विभाग अपने कब्जे वाली आर एम एस संपत्तियों में स्थान की समीक्षा कर सकता है और आर्थिक कार्यों के हित में अतिरिक्त/रिक्त स्थान खाली कर सकता है।
- ❖ डाक विभाग को राजस्व लाभप्रद बनाने के लिए आर टी एन मार्गों की समय पर समीक्षा के लिए विशेष प्रक्रोष्ठों के माध्यम से एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्हें संभावित शहरों/कस्बों के लिए दैनिक कनेक्टिविटी को ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाओं के लिए सक्षम बनाने और आर टी एन के माध्यम से विभाग के लिए राजस्व सृजन में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 3.2)

डाकघर आधार केंद्रों में आधार नामांकन किट का निष्क्रिय होना

डाक विभाग (डी ओ पी) ने यू आई डी ए आई के अनुरोध पर आधार नामांकन केंद्र स्थापित करने पर सहमति दी और 2018-19 के दौरान ₹178.08 करोड़ के व्यय के साथ 13,353 आधार नामांकन किट खरीदे। इनमें से, 21 परिमंडलों में हार्डवेयर, नेटवर्क और कर्मचारियों की कमी के कारण 1,976 किट परिचालन में नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹25.75 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध हो गई। इसके अलावा, सेवाओं की खराब गुणवत्ता के कारण, यू आई डी ए आई ने डी ओ पी पर ₹3.84 करोड़ का निवर्तक लगाया।

डाक विभाग निष्क्रिय किटों/ शून्य व्यापार केंद्रों की स्थिति की निगरानी/ समीक्षा कर सकता है ताकि उन्हें जरूरतमंद परिमंडलों में स्थानांतरित करने हेतु समय पर कार्रवाई की जा सके। विभाग को उन पर लगाए गए निवर्तक/ अर्थदंड को रद्द करने और वापस करने हेतु यूआईडीएआई से प्रयास करना चाहिए।

(पैराग्राफ 3.3)

डाकघरों द्वारा पेंशन का अनियमित भुगतान

डाक विभाग (डी ओ पी) पेंशनभोगियों के जीवन की निरंतरता के सत्यापन के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य करता है। लेखापरीक्षा ने पश्चिम बंगाल परिमंडल के अंतर्गत पांच प्रधान डाकघरों (एच पी ओ) में देखा कि पेंशनभोगियों से अनिवार्य जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पेंशन को लगातार आहरित करने की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप एक से दस वर्ष तक के 122 मामलों में ₹6.02 करोड़ की पेंशन का अनियमित आहरण हुआ। लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर, 14 मामलों में, अनियमित रूप से आहरित पेंशन राशि ₹64.51 लाख सरकारी खातों में वापस जमा कर दी गई, जबकि शेष मामलों में वसूली लंबित थी।

डी ओ पी उन मामलों में पेंशन के स्वतः जमा होने को रोकने के लिए फिनेकल सॉफ्टवेयर में अपेक्षित नियंत्रण लागू कर सकता है जहां पेंशनभोगी द्वारा निर्धारित समय सीमा में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इसके अलावा डाक विभाग सभी परिमंडलों में इसी तरह के मामलों की समीक्षा कर सकता है और ऐसे सभी मामलों में सुधार की प्रक्रिया को अंजाम

दे सकता है, जिसमें अनियमित पेंशन जमा करने के लिए डाक परिमंडलों पर जिम्मेदारी तय करना शामिल है।

(पैराग्राफ 3.4)

डाक विभाग में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग

डाकघर बचत बैंक नियमावली आंतरिक जांच निर्धारित करती है और विभिन्न स्तरों के लिए बचत बैंक संचालन में धोखाधड़ी और धोखाधड़ी गतिविधियों की रोकथाम के लिए जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। मैनुअल की पुष्टि करने के लिए, डाक विभाग ने समय-समय पर आंतरिक आदेशों की एक श्रृंखला के माध्यम से डाक परिमंडलों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अपने कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा की जाने वाली निवारक जांच/ कार्रवाई शामिल है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डाक विभाग के प्रधान डाकघरों की बचत शाखा और बचत बैंक नियंत्रण संगठन (एस बी सी ओ) डाक विभाग द्वारा संहिताबद्ध आंतरिक जांचों और निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों को लागू करने में विफल रहे। डाक कर्मचारियों द्वारा बंद बचत खातों से की गई निकासी, फर्जी प्रविष्टियां, फर्जी खाते खोले जाने, ग्राहकों से लिए गए नकद जमा को उनके खातों में दर्ज नहीं किया गया और डाक कर्मचारियों द्वारा यूजर आई डी और पासवर्ड का अनधिकृत उपयोग जैसी धोखाधड़ी गतिविधियों को पाया गया। इन अनियमितताओं के कारण नवंबर 2002 से सितंबर 2021 की अवधि में चौदह डाक परिमंडलों में फैले डाकघरों में ₹95.62 करोड़ की राशि के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ, जिसमें से ₹14.39 करोड़ (₹40.85 लाख के जुर्माने/ ब्याज सहित) की वसूली की गई और शेष राशि की वसूली अभी तक की जानी थी।

सार्वजनिक धन की सुरक्षा के लिए डाक विभाग यह सुनिश्चित करे कि डाकघरों द्वारा प्रभावी और सख्त आंतरिक जांच की जाए और आंतरिक लेखापरीक्षा को विभिन्न पदानुक्रमित स्तरों पर अक्षरशः क्रियान्वित किया जाए। वे केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से पी ओ एस बी लेनदेन की सूचना, सभी मामलों में मैन्युअल प्रविष्टियों की सख्त रोकथाम और प्रभावी पासवर्ड नीति के कार्यान्वयन आदि सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा, डी ओ पी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों पर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई शुरू कर सकता है, जिनके कार्यकाल में अनियमितताएं हुई हैं।

(पैराग्राफ 3.5)

अध्याय IV: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा नए/ उन्नत केंद्रों की स्थापना

एम ई आई टी वाई ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई आर) के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नए केंद्रों की स्थापना/ मौजूदा केंद्रों के उन्नयन के लिए, एन ई आर के छात्रों को आवासीय सुविधा

के साथ उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए आई ई सी टी परियोजना को मंजूरी दी (मई 2012)। एन आई ई एल आई टी कार्यान्वयन एजेंसी थी और परियोजना को पांच वर्षों में पूरा किया जाना था। हालांकि, परियोजना क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि नए स्थापित या उन्नत किए जाने वाले 18 केंद्रों में से छह परियोजनाओं को छोड़ दिया गया था और छह परियोजनाओं को भूमि उपलब्ध नहीं कराने/राज्य सरकारों द्वारा बाधा मुक्त भूमि प्रदान नहीं की गई, दोषपूर्ण परियोजना प्रबंधन आदि जैसे कारणों से गंभीर रूप से विलंबित किया गया था। संकाय विकास योजना में अपर्याप्तता, उद्योग इंटरफेस की कमी, एन आई ई एल आई टी के छात्रों की खराब रोजगार क्षमता, परियोजना प्रबंधन सलाहकारों (पी एम सी) द्वारा परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताएं थीं। परियोजना की समीक्षा और संचालन समूह (पी आर एस जी) परियोजना की निगरानी में अप्रभावी था। ₹27.58 करोड़ का व्यय नए/ विस्तार केन्द्रों की स्थापना के परियोजना उद्देश्यों के अनुरूप नहीं था और ₹3.95 करोड़ का व्यय छोड़ी गई परियोजनाओं पर व्यर्थ हो गया था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि एन आई ई एल आई टी

- ❖ सभी हितधारकों के साथ पर्याप्त योजना और चर्चा के बाद परियोजनाओं को मंजूरी दें और पी एम सी के साथ किए गए अनुबंधों में उपयुक्त खंड सुनिश्चित करें जो भारत सरकार के वित्तीय हितों की रक्षा करते हैं।
- ❖ अपूर्ण और विलंबित परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करें और छोड़ी गई/विलंबित परियोजनाओं के लिए पी एम सी/ ठेकेदारों पर जवाबदेही तय करें। इसके अलावा, राज्य सरकारों के साथ उच्चतम स्तर पर संवाद स्थापित करके छोड़ी गई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
- ❖ मुख्यालय के साथ-साथ इकाई स्तर पर केंद्रित पी आर एस जी बैठकें आयोजित करके, समरूप निर्माण समिति को संशोधित करके, नियमित साइट का दौरा आदि करके परियोजना निगरानी नियंत्रण को मजबूत करें।
- ❖ एक प्रशिक्षण कैलेंडर के साथ मिश्रित शिक्षण मोड में संकाय विकास कार्यक्रम (एफ डी पी) पर विचार करें ताकि छोटे केंद्र भी पहले से अच्छी तरह से योजना बना सकें और संकायों को लंबे समय तक लगातार स्टेशन छोड़ने के बिना प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए छोड़ दें।

(पैराग्राफ 4.1)

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा ई पी एफ अंशदान के विलम्बित प्रेषण के लिए ब्याज और शास्ति प्रभार का परिहार्य भुगतान

एन आई ई एल आई टी अपने कर्मचारियों और विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों में उनके द्वारा लगाए गए मानवशक्ति के लिए मासिक कर्मचारी भविष्य निधि (ई पी एफ) योगदान के

सांविधिक बकायों का समय पर प्रेषण सुनिश्चित करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, एन आई ई एल आई टी को सांविधिक बकायों अर्थात् ई पी एफ अंशदानों के विलम्ब से प्रेषण के लिए ब्याज और शास्ति प्रभारों के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को ₹71.71 लाख का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

कर्मचारी और नियोक्ता के ई पी एफ योगदान को नियत तिथि तक संबंधित ई पी एफ कार्यालय में जमा करना एक सांविधिक आवश्यकता है। ब्याज और क्षति प्रभारों से बचने के लिए, मंत्रालय सांविधिक आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी कर सकता है और ई पी एफ औ द्वारा एन आई ई एल आई टी पर लगाए गए दंडात्मक प्रभारों के लिए कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहरा सकता है।

(पैराग्राफ 4.2)

खंड ख

मंत्रालयों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय V: संचार मंत्रालय (एम ओ सी) के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में संपदा प्रबन्धन

एम टी एल के पास दिल्ली और मुंबई शहरों में भूमि/भवन, कार्यालय परिसरों और स्टाफ क्वार्टरों का कब्जा था। सभी संपत्तियों का अनंतिम अनुमानित मूल्यांकन ₹57,750 करोड़ (दिल्ली में ₹26,400 करोड़ और मुंबई में ₹31,350 करोड़) था। 2015-16 से 2020-21 की अवधि को कवर करते हुए एम टी एल के स्वामित्व वाली संपत्ति के प्रबंधन की जांच करने के लिए एक लेखापरीक्षा आयोजित की गई था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एम टी एल में संपदा प्रबंधन का समर्थन करने के लिए एक प्रलेखित व्यापक संपदा प्रबंधन नीति और एक समर्पित प्रशासनिक संरचना अनुपस्थित थी। डी ओ टी ने कंपनी के साथ खाली/ प्रमुख संपत्तियों के उपयोग पर समय पर निर्देश प्रदान नहीं किया, एम टी एल की खाली/ प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण में निराशाजनक प्रदर्शन में योगदान दिया। कंपनी के पास उनके कब्जे में संपत्तियों के संबंध में शीर्षक विलेख/ पट्टा विलेख नहीं थे। इसके कारण अधिग्रहीत भूमि/ संपत्ति का उपयोग नहीं किया गया, खाली भूमि का अतिक्रमण किया गया और संपत्तियों के मुद्रीकरण की प्रक्रिया में देरी हुई। कंपनी ने अपने पक्ष में संपत्ति के पुनः आवंटन के कारण संरचना शुल्क और अन्य भूमि शुल्क के कारण अप्रयुक्त संपत्तियों पर ₹113.91 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। कंपनी ने 31 मार्च 2021 तक विभिन्न पार्टियों को किराए पर दी गई संपत्तियों पर ₹150.74 करोड़ का बकाया भी जमा किया था और रिक्त स्थान न देने के कारण ₹205.80 करोड़ की संभावित हानि हुई थी।

लेखापरीक्षा की निम्नलिखित अनुशंसाएं हैं

- ❖ कंपनी अपनी संपत्तियों के लिए स्पष्ट शीर्षक प्राप्त करने के लिए समर्पित प्रयास कर सकती है और संपत्तियों के मूल्य और मात्रा/ आकार के संबंध में डेटा का मिलान कर

- सकती है, जो एक गंभीर कमी है जिसका तत्काल समाधान करने की आवश्यकता है ताकि बिक्री/ विनिवेश/ पूँजी पुनर्गठन की स्थिति में कंपनी के हित सुरक्षित रहे।
- ❖ कंपनी अन्य संगठनों को संपत्तियों को पड़े पर देने/ किराए पर देने से संबंधित मामलों को हल करने और अपनी वित्तीय तरलता को मजबूत करने के लिए किराये की बकाया राशि की वसूली के लिए उचित कदम उठा सकती है। कंपनी कब्जे वाले अधिकारियों के साथ वैध किराया समझौते भी सुनिश्चित कर सकती है।
 - ❖ डी ओ टी भूमि जोत के परिवर्तन, आरक्षण और पदनाम के मुद्दों से संबंधित विभिन्न निर्णय लेने में लेखापरीक्षा में देखी गई देरी और कमियों की व्यापक जांच करने पर विचार कर सकता है, जो कंपनी की भूमि संपत्ति के मुद्रीकरण को प्रभावित कर रहे हैं और इसकी बहुत बारीकी से निगरानी कर सकते हैं।

(पैराग्राफ 5.1)

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में टेलीकॉम फैक्टरियों का भंडारण प्रबंधन

बी एस एन एल की दूरसंचार फैक्ट्रियों ने अतिरिक्त सामग्री की खरीद की जिससे माल और भंडार का संचय हुआ। घटती माँगों के परिणामस्वरूप 2015-16 से क्रमशः ₹18.45 करोड़ का अप्रयुक्त कच्चा माल और ₹47.44 करोड़ मूल्य का तैयार टॉवर सामग्री स्टोर में बेकार पड़ा हुआ है जो कंपनी को एक नुकसान है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि बी एस एन एल मौजूदा बाजार स्थितियों और मांग में प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए कच्चे माल और उत्पादन की वास्तविक खरीद की योजना बना सकता है ताकि कच्चे माल और उत्पादन की अधिक खरीद से बचा जा सके। वे सामग्री के मूल्य में और गिरावट से बचने के लिए बेकार पड़ी टावर सामग्री के साथ-साथ अप्रचलित सूची के स्टॉक के उपयोग/ निपटान के लिए शीघ्र निर्णय ले सकते हैं।

(पैराग्राफ 5.2)

अध्याय VI: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

एन आई सी एस आई की अपर्याप्त क्रृष्ण वसूली तंत्र

एन आई सी एस आई में देनदारों से देय राशि की उचित प्रक्रिया और वसूली तंत्र के अभाव के कारण सरकारी विभागों/ एजेंसियों से ₹111.20 करोड़ के देय राशि का संचय था। वसूलियों के प्रति इस दुलमुल रवैये ने कंपनी को पूर्ण परियोजनाओं के कारण राजस्व की हानि के जोखिम के प्रति उजागर कर दिया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि एन आई सी एस आई चालू और पूर्ण परियोजनाओं के मामले में एक कुशल वसूली तंत्र सुनिश्चित कर सकता है। उन्हें ग्राहकों के लिए नई परियोजनाएं शुरू

करने से पहले उनके साथ पिछले खातों का निपटान सुनिश्चित करना चाहिए। वे विभिन्न ग्राहकों से अपने लंबित बकाया की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

(पैराग्राफ 6.1)

अध्याय VII: वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अविवेकपूर्ण निवेश निर्णय के कारण भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) पर परिहार्य वित्तीय बोझ

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी आर बी एन एम पी एल) को अपने कर्मचारी भविष्य निधि (ई पी एफ) ट्रस्ट के एक निजी कंपनी में अपने अधिशेष धन का निवेश करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण ₹1.37 करोड़ का परिहार्य वित्तीय बोझ उठाना पड़ा। कंपनी को ₹5.70 करोड़ की मूल राशि के संभावित नुकसान के लिए भी ट्रस्ट को क्षतिपूर्ति करनी होगी, क्योंकि निवेशिती कंपनी (आई एल एंड एफ एस) ने न केवल ब्याज के भुगतान में चूक की थी बल्कि परिसमापन में चली गई थी।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि

- ❖ कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ईपीएफ ट्रस्ट निवेश के दिशा-निर्देशों का ईमानदारी से पालन करे ताकि हानि वाले निवेशों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।
- ❖ कंपनी ट्रस्ट के उन कर्मचारियों पर जिम्मेदारी तय कर सकती है जिनके अविवेकपूर्ण निवेश निर्णय के कारण कंपनी पर परिहार्य वित्तीय बोझ पड़ा है।

(पैराग्राफ 7.1)